

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 01-17/2019/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/06/2019

- 1 आयुक्त, लोक शिक्षण, म0प्र0, भोपाल।
- 2 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0, भोपाल।
- 3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0।
- 5 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0।
- 6 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।


विषय:-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-2020।

-0-

प्रदेश में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा तथापि दिनांक 22.06.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक की अवधि के लिये यह प्रतिबंध शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रशासनिक आवश्यकता एवं अन्य आधारों पर राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर वर्ष 2019-2020 हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1. शैक्षणिक अमले के स्वैच्छिक स्थानान्तरण :-

- (1.1) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इस बावत् शासन द्वारा जारी निर्देश/पद संरचना अनुसार होगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये पदसंरचना शासन आदेश दिनांक 27-2/2013/20-2 दिनांक 11.03.2013 के अनुसार रहेगी। उक्त पदसंरचना के आधार पर जिन विद्यालयों में संख्यामान से अथवा विषयमान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होंगे, ऐसे अतिशेष शिक्षकों को स्थानान्तरण नीति अनुसार अन्यत्र शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा।
- (1.2) शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध विगत 3 शैक्षणिक सत्रों के औसत नामांकन के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संख्यामान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हांकित अतिशेष शिक्षक स्थानान्तरण नीति के अनुरूप अन्य शालाओं/विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में उपलब्ध रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- (1.3) उपर्युक्तानुसार अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम शिक्षक को सबसे पहले स्थानान्तरित किया जाएगा। कनिष्ठतम शिक्षक से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ होने से है न कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि से। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले निःशक्त एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, इस स्थिति में अगले क्रम पर उपलब्ध कनिष्ठ शिक्षक का स्थानान्तरण किया जाएगा।


22/6/19

पदस्थापना के समय संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखा जाकर ही पदस्थापना की जाएगी। जिन शालाओं में संख्यामान अथवा विषयमान के अनुरूप शिक्षक पदस्थ है अथवा अतिशेष शिक्षक पदस्थ हैं, उन शालाओं में उक्त संख्यामान अथवा विषयमान से स्थानांतरण कर पदस्थापना नहीं की जाएगी।

- (1.4) आवेदक को स्वैच्छिक स्थानांतरण एवं आपसी स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत स्थानांतरण नीति में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी।
- (1.5) हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु यदि किसी एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की विगत वर्ष की परीक्षा में शतप्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले प्राचार्य तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं/शिक्षकों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त स्थिति को छोड़कर शेष अन्य सभी स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा :-

क्रं.	शिक्षक संवर्ग के महिला/पुरुष	स्थानांतरण में प्राथमिकता क्रम का क्रमानुसार विवरण
1	महिला वर्ग	1. स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एन्ज्योप्लास्टी अथवा लकवा ग्रसित। (परिवार से आशय पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चों से हैं) 2. शासकीय सेवारत पति के कार्यस्थान पर स्थानांतरण
2	पुरुष वर्ग	1. स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, एन्ज्योप्लास्टी अथवा लकवा ग्रसित (परिवार से आशय पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चों से हैं) 2. शासकीय सेवारत पत्नी के कार्यस्थान पर स्थानांतरण
3	महिला वर्ग	निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
4	पुरुष वर्ग	निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
5	महिला वर्ग	विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता।
6	महिला वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता मान्य होगी।
7	पुरुष वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता मान्य होगी।

- (1.6) प्रशासकीय आधारों पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे, इसके पश्चात् रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरणों पर विचार किया जाएगा।

2 शैक्षणिक अमलों का प्रशासकीय स्थानान्तरण -

- (2.1) प्रशासकीय स्थानान्तरण के अंतर्गत मुख्य रूप से अतिशेष शिक्षकों का पदांकन अन्य शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शैक्षणिक व्यवस्था की दृष्टि से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी पर, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, शिकायत में दोष सिद्ध पाये जाने, परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से कम रहने तथा संस्था प्रमुखों की अनुशंसा पर किए जाएंगे।
- (2.2) यदि कोई शिक्षक अन्य विभागांतर्गत संचालित शालाओं/संस्थाओं में पदस्थापना चाहता है तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/03/एक दिनांक 29.02.2008 में निहित प्रावधान के तहत प्रतिनियुक्ति पर ही भेजा जा सकेगा। इस हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण अधिकृत होंगे। संबंधित शिक्षक द्वारा इस हेतु एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
- (2.3) प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्र0अ0 प्राथमिक शाला/उ0श्रे0शि0/माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/खेलकूद शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक, ग्रंथपाल (राज्य स्तरीय शैक्षणिक कैंडर को छोड़कर) के जिले के अन्दर स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किए जाएंगे।
- (2.4) प्र0अ0 माध्यमिक शाला/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षक/क्षेत्रीय ग्रंथपाल/ग्रंथपाल/सहायक साख्खिकी अधिकारी/योजना अधिकारी के जिले के अन्दर एवं संभागान्तर्गत अर्न्तजिला स्थानान्तरण संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर आयुक्त, लोक शिक्षण के माध्यम से विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किए जाएंगे।
- (2.5) सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा व्याख्याता के अर्त्तसंभागीय स्थानान्तरण आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किए जाएंगे।
- (2.6) प्राचार्य हाईस्कूल एवं प्राचार्य उ0मा0वि0 संवर्ग के स्थानान्तरण आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किए जाएंगे। नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना यथा संभव अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों में की जाएगी।

3. गैर शैक्षणिक अमले का स्थानान्तरण :-

- (3.1) विभाग के विभिन्न कार्यालयों में जहाँ स्वीकृत पदों से अधिक गैर-शैक्षणिक स्टॉफ पदस्थ है, उनका प्रशासकीय स्थानान्तरण उन संस्थाओं में किया जाएगा जहाँ पर पद रिक्त हैं।
- (3.2) समस्त गैर शैक्षणिक (चतुर्थ/तृतीय श्रेणी) अमले का जिला अंतर्गत स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।
- (3.3) समस्त गैर शैक्षणिक (चतुर्थ/तृतीय श्रेणी) अमले के संभाग अंतर्गत अर्त्तजिला स्थानान्तरण संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण के माध्यम से विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त किए जाएंगे।
- (3.4) समस्त गैर शैक्षणिक (चतुर्थ/तृतीय श्रेणी) अमले के अर्त्तसंभाग स्थानान्तरण आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त किए जाएंगे।

(3.5) क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाएगा। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरुपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाएगा। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पदों पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।

4. प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण :-

(4.1) राज्य स्तर पर अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागीय प्रक्रिया अंतर्गत किए जाएंगे। स्वैच्छिक आधार पर संबंधित अधिकारी सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।

(4.2) सहायक संचालक संवर्ग एवं उससे वरिष्ठ संवर्गों के स्थानान्तरण विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त किये जाएंगे। उक्त संवर्गों में एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक निरन्तर रूप से कार्यरत अधिकारियों की अन्यत्र पदस्थापना की जायेगी।

5 प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जाएंगे :-

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानान्तरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201 से 2000 तक	10 प्रतिशत
3	2000 से अधिक	5 प्रतिशत तक

(5.1) सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विद्यालयों से स्थानान्तरण किये जा रहे हैं उन विद्यालयों में स्थानान्तरण के पूर्व की पदस्थापना स्थिति के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे तथा किसी भी स्थिति में शाला शिक्षक विहीन न हो।

(5.2) उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में पदस्थ शैक्षणिक अमले का प्रशासकीय स्थानान्तरण इन विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य शालाओं में सामान्यतः नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों पर विहित प्रक्रिया से चयनित शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी।

6. समय-सारणी

राज्य एवं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-2020 की समय-सारणी निम्नानुसार होगी :-

1.	शैक्षणिक अमले के स्वैच्छिक स्थानान्तरण के लिये आवेदकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना।	24 जून 2019 से 05 जुलाई 2019 तक
2.	शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले के स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय स्थानान्तरण आदेश पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर जारी किया जाना।	15 जुलाई 2019 तक
3.	स्थानांतरित स्थल पर पदभार ग्रहण करना	22 जुलाई 2019 तक।

7. प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानान्तरण :-

- (7.1) प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, अतिशेष शिक्षकों की अन्य शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों तथा प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक होने पर स्थानान्तरण किये जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा।
- (7.2) प्रतिबंधित अवधि के दौरान उक्त कण्डिका-7.1 की स्थिति में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किये जायेंगे। अन्य स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये आयुक्त, लोक शिक्षण एवं शासन स्तर से ही आदेश जारी किये जाएंगे।

8. स्थानान्तरण नीति की अन्य शर्तें :-

- (8.1) इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में समन्वय में आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (8.2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
- (8.3) पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही स्थानों पर पदस्थापना के लिये आवेदन प्राप्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय पर कार्यरत हो तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।
- (8.4) टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानान्तरण चाहने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु स्थानान्तरण पर पदस्थापना कम नामांकन वाले विद्यालयों में की जा सकेगी।
- (8.5) शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानान्तरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- (8.6) ऐसे निःशक्त कर्मचारी, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो को सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानान्तरण का आवेदन प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा।
- (8.7) ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जाएगा, जहाँ पर निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सकें, बशर्ते कि


- संबंधित द्वारा ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत किये हो।
- (8.8) कमीशन प्राप्त एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिन स्थानों पर इन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है उन स्थानों पर एन.सी.सी./एन.एस.एस. की संबंधित इकाई संचालित हो।
- (8.9) सहायक संचालक संवर्ग एवं उनसे वरिष्ठ संवर्ग के लोक सेवकों को उनके गृह जिले में स्थानान्तरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ नहीं किया जाएगा, किन्तु अविवाहित, विधवा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित पुरुषों के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
- (8.10) राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकासखण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा-अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति उपरान्त स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये अर्थात् 4 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जाएगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल 2006 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित जिला कलेक्टर को दी जायेगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहाँ वे कार्यरत हो, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से छूट का लाभ दिया जाएगा।
- (8.11) किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।
- (8.12) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007 (एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है जैसे- बिना रिक्त पद के स्थानान्तरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अतः आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण जहाँ किया जा रहा है वहाँ पद रिक्त है या नहीं।
- (8.13) जिस जिले में जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हो, वहाँ उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाएगी।
9. स्थानान्तरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानान्तरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानान्तरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक होगा।
10. एक ही मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय/संस्था से दूसरे कार्यालय/संस्था में किया गया स्थानान्तरण स्थानीय व्यवस्था है, इसे स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं लिया जायेगा। "शाला" को कार्यालय श्रेणी अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।

11. **कार्यमुक्ति हेतु समयावधि :-**
पोर्टल पर जनरेटेड ऑनलाइन स्थानान्तरण आदेश में ही कार्यमुक्ति का भी उल्लेख रहेगा, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। पृथक से कोई कार्यमुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आदेश जारी होने के पश्चात नियत अवधि में नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. **वेतन आहरण :-**
स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन के लिये पूर्वोक्त कण्डिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत उसी संस्था से वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा प्रेषित किए जायेंगे एवं इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी। इसके लिये कार्यालय प्रमुख, आहरण व सवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। कार्यमुक्ति होने के पश्चात् स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
13. **अवकाश स्वीकृति :-**
कार्यमुक्ति होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही नवीन संस्था के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
14. **पालन न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही :-**
स्थानान्तरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्व अनुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
15. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वार्न करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।
16. जिला एवं संभाग स्तर से किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा एवं आयुक्त लोक शिक्षण स्तर से किये गये स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण शासन स्तर से किया जाएगा।
17. कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा तथा इस हेतु पृथक से कोई भत्ता/वेतन देय नहीं होगा।
18. सामान्यतः स्थानान्तरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जायें। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।
19. सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।


22/6/19

20. समस्त स्थानांतरण आदेश एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जारी किए जाएंगे तथा जारी आदेश पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुभा श्रीवास्तव) 22/6/19
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 22/06/2019

पृ0 क्रमांक/एफ 01-17/2019/20-1
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, बाणगंगा, भोपाल।
9. तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म0प्र0, भोपाल।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।


उप सचिव 22/6/19
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग